प्रेस नोट
दिनांक 21.03.2025

पुलिस अधिक्षक गोण्डा द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय मित्र योजन के तहत टी0बी0(क्षय) रोगी को वितरण किया गया पोषण पोतली-

आज दिनांक 21.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस सभागार कक्ष में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय मित्र योजन के तहत टी0बी0(क्षय) रोगियों को पोषण पोतली वितरण किया गया तथा महोदय द्वारा 02 क्षय रोगियों को गोद लिया गया। इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी द्वारा 01-01, समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा 01-01 व समस्त थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों द्वारा 01-01 टी0बी0 रोगियों को गोद लिया गया।

महोदय द्वारा बताया गया कि निक्षय मित्र एक ऐसी योजना है जिसके तहत टी0बी0 रोग से पीड़ित लोगो को गोद लेकर रोगियों को पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर तपेदिक (टीबी) से मुक्त करना है। इस योजना के तहत कोई भी सामान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्थान, कॉर्पोरेट संस्थान टीबी के मरीज को गोद ले सकता है। इस योजना के तहत, सरकार टीबी रोगियों को पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करती है । यह योजना सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा।

टीबी हारेगा, देश जीतेगा । जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा व स्वास्थ विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.03.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–105/2025, धारा 305 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र सुरेश कुमार नि0 दुल्लाहपुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को झिलाही क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2350 रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 03.03.2025 को वादी भानु प्रताप सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह नि0 ग्राम दिलीप पुरवा मौजा भिटौरा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 02.03.2025 को उनकी लड़की की शादी थी। जिसमें अज्ञात चोरो द्वारा उनके घर में घुसकर सोने व चांदी के आभूषण चोरी किए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 21.03.2025 को थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र सुरेश कुमार नि0 दुल्लाहपुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को झिलाही क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2350 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मनीष कुमार पुत्र सुरेश कुमार नि0 दुल्लाहपुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/2025, धारा 305,317(2) बीएन0एस0 थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 2350 रू0 नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव।
02. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता।
03. का0 रवि सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।